फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायणलाल — बनाम — विपक्षी : श्री चारभुजा भगवान मंदिर

किस्म मुकदमा – 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या : 99/22

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 09.09.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा हींता पटवार हल्का हींता में प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसमें आने जाने के लिये विपक्षी की आराजी न. 4906, 4919, 4930 , 4931 में से रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे विपक्षी द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी आराजी न. नहीं लिखे हैं इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है व आराजी न. 1919, 1930, 1931 चारभुजा हींता के नाम दर्ज नहीं हैं बल्कि रेकर्ड में आराजी न 4906, 4919, 4930, 4931 है। भगवान (देवता) को शास्वत अवयस्क ही माना गया हैं वो एक ज्यूरिस्टिक परसन हैं ऐसी भूमि का किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरण पुर्णतया निषेध है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर पहूंचने का सरकारी रास्ता जो हींता से धारता जाता है वहा से ही सदीप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तक पहूचने का अन्य रास्ता उपलब्ध हैं जिससे प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग करना ही तर्क संगत नहीं हैं। अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट मे बताया कि खातेदार नारायणलाल पिता भगवान लाल अहीर सा गाडरीयावास की जमाबदी सम्वत 2078–81 खाता स. 355 में दर्ज आराजीयात 5100, 5101, 5063, 5062, 5059, 3746 कुल किता 6 रकबा 4.0400 है. होकर आराजी न. 5774/5405 रकबा 0.3200 किस्म रास्ता बिलानाम गैर काबिज काश्त से सटे हुए हैं। अत: पहूच मार्ग उपलब्ध है लेकिन गाडरीयावास ग्राम से आने वाले रास्ते के बीच चारभुजा जी स्थान देह की आराजीयात 4906 रकबा 1.4200 है किस्म बीड द्वितीय मे से गुजरना पडता है जो कि प्रार्थी के लिए निकटतम मार्ग होगा। प्रार्थी की आराजीयात सरकारी रास्ते से जुडी है लेकिन प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक पहुचने के लिए करीब 2–3 कि.मी. का सफर तय करना पडता हैं यदि चारभुजा जी सथान देह से रास्ता जो वर्तमान में संचालित है वहीं से रास्ता मिल जाए तो यह न्युनतम पहूंच मार्ग होगा। उक्त वर्णित दोनों रास्तों के अलावा कोई पहूंच मार्ग नही है।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर पहूचने के लिए आराजी न. 5774/5405 रकबा 0.3200 है किस्म रास्ता से पहुच मार्ग उपलब्ध है। प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुचने के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। धारा 251 (क) मे सुगमता के लिये रास्ता दिये जाने के प्रावधान नहीं है। अत: पूर्व से ही पहुच मार्ग उपलब्ध होने से रास्ता दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:48:45 IST
Reason: SelfAttested